

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, बालोद (छ0ग0)

// आदेश //

क्र0 / ~~4946~~ / एस.डब्ल्यू. / 2020

बालोद दिनांक 31 / 07 / 2020

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यालयीन आदेश क्र0 4985 / एस.डब्ल्यू. / 2020 बालोद दिनांक 28 / 07 / 2020 के द्वारा दिनांक 06 / 08 / 2020 की मध्य रात्रि तक आवश्यक सेवाओं में छूट के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया है साथ ही कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 4988 / एस.डब्ल्यू. / 2020 बालोद दिनांक 29 / 07 / 2020 के तहत आगामी त्यौहारों को देखते हुए दिनांक 30 जुलाई एवं 31 जुलाई 2020 को प्रातः 07:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार खोलने की अनुमति दी गई थी।

उक्त आदेश के प्रक्रम में आगामी त्यौहारों को देखते हुए दिनांक 01 / 08 / 2020, 02 / 08 / 2020 एवं 03 / 08 / 2020 को प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक मिठाई दुकान खोलने एवं राखी विक्रय करने की अनुमति दी जाती है साथ ही प्रतिबंधित अवधि में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों की छूट होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-बालोद (छ0ग0)

पृष्ठ क्र0 / ~~4997~~ / एस.डब्ल्यू. / 2020

बालोद दिनांक 31 / 07 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
8. आयुक्त, दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
9. पुलिस अधीक्षक जिला-बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।

11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बालोद/गुण्डरदेही/डौण्डीलोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद को सूचनार्थ प्रेषित।
14. तहसीलदार सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सर्व जिला बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्—बालोद/दल्लीराजहरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, नगर पंचायत गुरुर/गुण्डरदेही/अर्जुन्दा/डौण्डीलोहारा/डौण्डी/चिखलाकसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. उपसंचालक, जनसम्पर्क बालोद को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
19. सर्व संबंधितों को पालनार्थ प्रेषित।
20. कार्यालयीन प्रति।

 31/7/2022
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला—बालोद (छ0ग0)